



राजि.नं.एल.डब्ल्यू./एन.पी-890

हाइसंख्य नं० डब्ल्यू पी०-41

साइसंख्य द पॉस्ट एंड कन्संखनस रजि

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 मार्च, 1998

चैत्र 09, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 629/सर्वह-वि-1-1(क)-9-1998

लखनऊ, 30 मार्च, 1998

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 28 मार्च, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अधिनियम, 1983 का निरसन करने और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में पारिणामिक संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनत्रासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1--यह अधिनियम किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जाएगा।

अध्याय-दो

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल
(ग्रहण करना) अधिनियम, 1983 का निरसन

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 10
सन् 1983 का
निरसन और
अपवाद

2—(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अधिनियम, 1983 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्ली या आदेश के होते हुए भी निरसित अधिनियमों के अधीन राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्ति, जारी किया गया आदेश, सृजित किया गया पद, कृत कोई कार्य या कार्यवाही या किये जाने, जारी किये जाने, सृजित किये जाने, की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित ऐसे मामले से संव्यवहार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा या अधीन संशक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा क्रमशः की गई नियुक्ति, जारी किया गया आदेश, की गयी कार्यवाही या किया गया कार्य समझा जायगा।

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 29
सन् 1974 द्वारा
यथासंशोधित
और पुनः अधि-
नियमित राष्ट्रपति
अधिनियम
संख्या 10
सन् 1973 में नई
धारा 31-ग का
बढ़ावा जाना

3—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

“31-ग—इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई तदर्थ नियुक्तियों का सहायक प्राचार्य, सह प्राचार्य या प्राचार्य को जो, विनियमितीकरण किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल

एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ में तदर्थ आधार पर 18 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् किन्तु 10 अगस्त, 1992 तक सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था और किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को इस रूप में सेवा में सेवारत हो और ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हतायें रखता था, ऐसे तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम में निर्दिष्ट शब्द “प्राध्यापक” और “प्राचार्य” का तात्पर्य क्रमशः “सहायक प्राचार्य” और “सह प्राचार्य” से होगा।”

आज्ञा से,

गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 629(2)/XVII-V-1—1 (KA)-9-1998

Dated Lucknow, March 30, 1998

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Medical College Aur Gandhi Memorial And Associated Hospital (Grihan Karna) (Nirsan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 28, 1998:

THE KING GEORGE'S MEDICAL COLLEGE AND THE GANDHI
MEMORIAL AND ASSOCIATED HOSPITALS (TAKING OVER)
(REPEAL) ACT, 1998

(U.P. ACT No. 15 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals (Taking Over) Act, 1983 and to make consequential amendment in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

